महत्वपूर्ण एवं खास

युवक ने नाबालिग प्रेमिका पर चाकू से किया हमला, हालत गंभीर

कोरबा (आरएनएस)। कोरबा में चाकूबाजी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। मंगलवार रात कोतवाली थाना क्षेत्र के सीतामणी इलाके में एक युवक ने अपनी नाबालिग प्रेमिका पर ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद युवक ने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। आरोपी युवक का नाम निलेश दास उर्फ कालू बताया जा रहा है, जो नशे का आदी है। उसके परिजनों ने बताया कि वह शराब, गांजा और मेडिकल नशा करता है, जिससे उसकी मानसिक स्थिति काफी बिगड़ चुकी है। नशे में धुत होकर निलेश ने अपनी प्रेमिका को गंभीर चोटें युवक पहुंचाई। गंभीर हालत में पीड़िता को रानी धनराजकुंवर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

बेकाबू पिकअप ने तीन लोगों को रौंदा

महासमुंद-रायपुर (आरएनएस)। जिले में एक बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई। दरअसल, यहां एक तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसा इतना दर्दनाक था कि मौके पर ही तीन लोगों की मौत हो गई। घटना के बाद अफरातफरी का माहौल बन गया। जानकारी के अनुसार, हादसा बसना पुलिस थाना क्षेत्र की है। जहां छुईपाली टोल नाका के पास एक पिकअप वाहन ओवर टेक करने के चक्कर में बाइक सवार को रौंद दिया। जिससे बाइक सवार तीन युवक की मौत हो गई। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेज दिया और मामले की जांच में जुट गई। आपको बता दें कि इससे पहले बुधवार को भी महासमुंद जिले में एक भीषण हादसा हुआ था। यहां पटेवा थाना क्षेत्र में एक ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गई। जिससे 2 लोगों की मौत हो गई। जबकि 4 लोग घायल हो गए।

आबकारी आरक्षकों को मिला प्रमोशन, बने प्रधान आरक्षक

रायपुर (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ में अलग-अलग विभागों में ट्रांसफर और पोस्टिंग के साथ ही पदोन्नति का भी सिलसिला चल पड़ा है। इसी कड़ी में आबकारी विभाग के 53 आरक्षकों को मुख्य आरक्षक के तौर पर पदोन्नत किया गया है। विभाग द्वारा इस संबंध में सूची जारी कर दी गई है।

चार साल के मासूम को जिंदा जलाने वाले आरोपी को अदालत ने दिया मृत्युदंड

रायपुर (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से बच्चे की किडनैपिंग और फि र हत्या के आरोपी को कोर्ट ने मृत्युदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला समग्र जिला और अपर सत्र न्यायाधीश ने सुनाया है। दो साल पहले आरोपी ने पड़ोस में रहने वाली एक महिला से एकतरफा प्यार के चलते वारदात को अंजाम दिया था और फरार हो गया था। मामला उरला थाना क्षेत्र का है। बता दें कि इस दिल दहला देने वाली वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी का नाम पंचराम है। उरला में रहने वाले 4 साल के हर्ष का 5 अप्रैल साल 2022 को किडनैप हुआ था। बच्चे के माता-पिता ने बताया कि 5 अप्रैल की रात लगभग 8 बजे उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने बताया कि पड़ोसी पंचराम 5 अप्रैल की सुबह 10 बजे दोनों बेटों, 6 साल के दिव्यांश और 4 साल के हर्ष चेतन को घुमाने के नाम पर अपनी बाइक में ले गया। लगभग आधे घंटे बाद बड़े बेटे दिव्यांश को पंचराम ने घर लाकर छोड़ दिया और हर्ष चेतन लेकर चला गया। उरला पुलिस को शिकायत मिलने के बाद पंचराम की खोजबीन शुरू की गई। आस-पास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और सघन पूछताछ शुरू की गई। तब जानकारी मिली कि पंचराम ने उसी दिन दोपहर में अपनी बाइक 15 हजार में दुर्ग में बेच दी है। वहीं इसी बीच पुलिस की साइबर टीम से पंचराम का लोकेशन महाराष्ट्र में मिला, इसके बाद टीम ने 7 अप्रैल 2022 की रात को नागपुर के पास पंचराम को ट्रेस कर हिरासत में लिया।

आत्मसमर्पित नक्सलियों एवं नक्सल पीड़ित परिवारों को पुनर्वास नीति के तहत मिलेगा आवास - उपमुख्यमंत्री शर्मा

- उपमुख्यमंत्री शर्मा के प्रयासों से भारत सरकार से मिली 15,000 आवासों की स्वीकृति
- केंद्र सरकार से 6 दिसंबर तक आवास प्लस पोर्टल में अपलोड करने की मिली अनुमति

रायपुर | आरएनएस

छत्तीसगढ़ सरकार ने आत्मसमर्पित नक्सलियों और नक्सल पीड़ित परिवारों के पुनर्वास के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा के विशेष प्रयासों से केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत 15,000 आवासों की स्वीकृति प्रदान की है।उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा समय समय पर अपने दौरे के दौरान आत्मसमर्पित नक्सलियों एवं नक्सल पीड़ित परिवारों से मिलते रहते हैं और उनकी समस्याओं को महसूस करते हैं। उपमुख्यमंत्री शर्मा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलकर आत्मसमर्पित नक्सलियों एवं नक्सल पीड़ित परिवारों हेतु प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत आवास देने की स्वीकृति हेतु निवेदन किया था परिणामस्वरूप 15 हजार आवास की स्वीकृति भारत सरकार से दी गयी है। पीड़ित परिवारों को आवास मिल जाने से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों को एक सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन प्रदान करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी।

उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले आत्मसमर्पित नक्सलियों और पीड़ित परिवारों को मुख्यधारा में जोड़ने के लिए यह पहल एक बड़ा कदम है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत आवंटित 15,000 आवास केवल मकान नहीं बल्कि उन परिवारों के लिए सम्मान और सुरक्षा का प्रतीक हैं। हमारी सरकार इस योजना को पूरी पारदर्शिता और तत्परता के साथ लागू करेगी। उन्होंने कहा कि यह योजना प्रदेश के विकास और शांति स्थापना की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। उन्होंने कहा कि नक्सल पीड़ित परिवारों और आत्मसमर्पित नक्सलियों को बेहतर जीवन देने के लिए हमारी सरकार संकल्पबद्ध है। यह योजना सामाजिक समरसता और विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होगी।

इस विशेष परियोजना के तहत पुलिस अधीक्षक जिले के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) जिला पंचायत को आत्मसमर्पित नक्सलियों और नक्सल पीड़ित परिवारों की सूची प्रदान करेंगे। इसके बाद जिला पंचायत द्वारा इस सूची का सर्वेक्षण और सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन उपरांत कलेक्टर के माध्यम से लाभार्थियों के लिए भूमि का चिन्हांकन किया जाएगा। इसके आधार पर प्रधानमंत्री आवास योजना के दिशानिर्देशों के अनुरूप आवास निर्माण की प्रक्रिया आरंभ होगी।

इस योजना में विशेष रूप से उन परिवारों को शामिल किया जाएगा जिनका नाम सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011 और आवास प्लस 2018 की सूची में शामिल नहीं था। इन नामों को 6 दिसंबर 2024 तक आवास प्लस पोर्टल पर अपलोड करने की अनुमति केंद्र सरकार द्वारा दी गई है।

नाबालिग का अपहरण कर अनाचार, दो आरोपी गिरफ्तार

मुंगेली-रायपुर | आरएनएस

पुलिस अधीक्षक महोदय मुंगेली, भोजराम पटेल के द्वारा नाबालिक बालिका एवं महिला संबंधी अपराधों मे त्वरित कार्यवाही कर प्रकरण निराकरण करने हेतु निर्देश दिये जाने परिपालन मे अति. पुलिस अधीक्षक महोदय मुंगेली, पंकज पटेल एवं अनुविभागीय पुलिस अधिकारी लोरमी माधुरी धिरही अनुविभागीय पुलिस अधिकारी नवनीत पाटिल के मार्ग दर्शन पर कार्यवाही की गयी जिसमे क्रमश: (1) थाना लोरमी अंतर्गत प्रार्थी द्वारा दिनांक 24.08.2024 को थाना लोरमी में रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 23.08.2024 के दोपहर इसकी नाबालिक लड़की को कोई अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला फुसलाकर भगाकर ले गया है कि रिपोर्ट पर अपराध क. 302/24 धारा 137 (2) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया, विवेचना दौरान लोरमी पुलिस द्वारा लगातार पतासाजी किया गया मुखबिरो से प्राप्त सूचना एवं सायबर सेल से तकनीकी साक्ष्य एकत्रित कर त्वरित कार्यवाही करते हुये पुलिस टीम पुणे महाराष्ट्र रवाना किया गया जो पुणे महाराष्ट्र मे आरोपी सुनील जोशी पिता मनीष उम्र 22 वर्ष साकिन बुधवारा थाना लोरमी जिला मुंगेली के कब्जे से नाबालिग अपहृता/पीड़िता को बरामद कर थाना सुरक्षार्थ लाकर अपहृता का स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया व अपने कथन मे आरोपी के द्वारा शादी का झांसा देकर लगातार दैहिक शोषण करना बताया जिस पर प्रकरण मे धारा 137 (2), 87,64(2)(3), 65 (1) बीएनएसएस, 6 पाक्सो एक्ट जोड़ी जाकर आरोपी सुनील जोशी के विरूद्ध धारा सदर का आरोप सबूत पाये जाने से दिनांक 27.11.2024 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर जेल दाखिल किया गया।

(2) थाना पथरिया अंतर्गत प्रार्थी द्वारा दिनांक 06.08.2024 को थाना पथरिया उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 06. 08.2024 के इसी नाबालिक लड़की को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला फुसलाकर भगाकर ले गया है कि रिपोर्ट पर अप. क्र. 187/24 धारा 137(2) बीएनएस के तहत कायम कर प्रकरण की गंभीरता को देखते हुये पथरिया पुलिस के द्वारा वरिष्ठ अधिकारियो के मार्गदर्शन मे लगातार पतासाजी किया गया, पतासाजी दौरान संदेही के परिजनो एवं मुखबिरो से प्राप्त सूचना तथा तकनीकी साक्ष्य एकत्रित कर कोटा निवासी रवि कश्यप के कब्जे से नाबालिग अपहृता/पीड़िता को बरामद किया जाकर पीड़िता स्वास्थ्य परीक्षण व महिला पुलिस अधिकारी से कथन कराया गया जो आरोपी रवि कश्यप पिता सहेतरू उम्र 27 वर्ष साकिन वार्ड क्र. 04 फिरगीपारा कोटा थाना कोटा जिला बिलासपुर छ.ग. के द्वारा लगातार नाबालिक बालिका को बहला-फुसला कर शादी का झांसा देते हुये लगातार दैहिक शोषण किया गया गया प्रकरण मे धारा 87, 65 (1) बीएनएसएस, 4-6 पाक्सो एक्ट जोड़ी जाकर आरोपी रवि कश्यप के विरूद्ध धारा सदर का आरोप सबूत पाये जाने से दिनांक 28.11.2024 को गिरफ्तार किया गया जिसे न्यायालय शीघ्र पेश किया जाता है। उपरोक्त कार्यवाही मे निरीक्षक अखिलेश वैष्णव थाना प्रभारी लोरमी, निरीक्षक रघुवीर चन्द्रा थाना प्रभारी पथरिया, उपनिरी. सुन्दर लाल गोरले, सउनि पुहकल सिंह, प्र.आर.357 विनोदनाथ योगी, आर. संजय मिरे, म.आर. हेमलता साहू, नंदनी रजक की अहम भूमिका रही।

कड़ाके की ठंड के साथ डेंगू का कहर

जशपुर-रायपुर | आरएनएस

जिले में हड्डी कंपकंपा देने वाली ठंड के साथ इन दिनों डेंगू का कहर भी बरप रहा है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार जिले में अब तक 20 पीड़ित मरीजों की जांच में पुष्टि हुई है। शहर में डेंगू से तीन लोगों की मौत की चर्चा है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने अब तक इसकी पुष्टि नहीं की है। विभाग का कहना है कि मौत के लिए निर्धारित प्रक्रिया के बाद ही,इसकी पुष्टि की जाती है। सीएमएचओ जीएस जात्रा ने बताया कि डेंगू की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। उन्होंने बताया कि विभाग समय-समय पर सर्वे कराता है। उन्होंने बताया कि शहर में अब तक 8 डेंगू संक्रमित मरीजों की पहचान हो चुकी है। उन्होंने बताया कि डेंगू पीड़ितों का ट्रेवल इतिहास भी खंगाला जा रहा है ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि मरीज डेंगू से जिले में संक्रमित हुए या बाहर से संक्रमित हो कर आए थे। डॉ जात्रा ने बताया कि डेंगू एक मच्छर जनित रोग है।

इसमें बुखार आने के साथ खून में प्लेटलेट्स की संख्या गिरने लगती है। जिससे पीड़ित को परेशानी का सामना करना पड़ता है। उन्होंने अपील किया डेंगू से बचने के लिए अपने आसपास सफाई रखें और कहीं भी पानी का जमाव ना होने दें। खास कर कूलर और कबाड़ में पानी के जमाव को रोकने की आवश्यकता होती है।

लड़की बनकर की 21 लाख की ठगी, तीन गिरफ्तार

बिलासपुर-रायपुर (आरएनएस)। फेसबुक पर दोस्ती कर अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करने की धमकी देकर 21 लाख रुपए की ठगी करने वाले 3 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी फेसबुक में लड़की के नाम व फोटो से फर्जी आईडी बनाकर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजकर लोगों को अपना शिकार बनाता था. एप्लीकेशन से लड़की की आवाज में बात भी करते था. जानकारी के मुताबिक मुरली पटेल निवासी ग्राम पाली थाना जांजगीर को उनके फेसबुक आईडी पर फ्रेंड रिक्वेस्ट मिला.

व्यक्ति ने उस आईडी से दोस्ती कर ली, जो फर्जी आईडी वाला लड़की की आवाज में बातचीत कर रहा था. दोनों के बीच लंबे समय तक संवाद होता रहा। इस दौरान व्यक्ति से उनका अश्लील वीडियो मंगवाया गया. इसके बाद आरोपी ने उक्त वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी और ब्लैकमेल करते हुए पैसे की मांग शुरू कर दी। आरोपी ने कई किस्तों में व्यक्ति से कुल 21 लाख रुपए उनके बताए गए बैंक खाते में ट्रांसफर करवा लिए. इसके बाद भी आरोपी की ओर से लगातार पैसे की मांग की जा रही थी.

साइबर थाना में इस मामले में फर्जी आईडी धारक के खिलाफ केस दर्ज किया गया था. पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर रायगढ़ में दबिश दी और प्रीतम महंत, कामेश साव और हेमसागर पटेल को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के कब्जे से एक नग लैपटॉप 3 नग मोबाइल एवं ठगी के रकम से खरीदे गए घरेलू व सोने-चांदी के जेवरात को जब्त कर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है।

खनिज संसाधनों के दोहन मामले में 49.51 लाख की पेनाल्टी कर दिखाई सख्ती

कोरबा | आरएनएस

प्राकृतिक और खनिज संपदा के मामले में छत्तीसगढ़ का कोरबा जिला काफी समृद्ध है जहां पर व्यापक मात्रा में इन खनिज तत्वों की उपलब्धता मौजूद है। खनिज विभाग को वैध प्रक्रिया से कोयला और अन्य खनिज संसाधनों के दोहन के मामले में 2000 करोड़ से ज्यादा का राजस्व प्राप्त हो रहा है। जबकि गौण खनिज के मामले में कुछ इलाकों में अनियमितता की शिकायतें हैं। वित्त वर्ष 2024- 2025 की शुरुआत अगले 7 महीना में विभाग ने अवैध दोहन, परिवहन और भंडारण से संबंधित मामलों में 49 लाख 51 हजार 409 रुपए की पेनल्टी की है।

1 अप्रैल 2024 से अक्टूबर तक खनिज विभाग के द्वारा कोरबा जिले के अलग-अलग क्षेत्र में इस तरह के 215 प्रकरण बनाए गए और इनमें सरकार की गाइडलाइन के अंतर्गत संबंधित लोगों पर पेनल्टी की गई। खनिज विभाग के अधिकारी ने बताया कि इस अवधि में अवैध रेत दोहन के 10 प्रकरण बनाए गए। इनमें 5 लाख 22 343 रुपए की पेनल्टी की गई। विभाग की जानकारी में लगातार यह बात आई कि अलग-अलग क्षेत्र में अवैध तरीके से रेत का परिवहन किया जा रहा है। इसके लिए ट्रैक्टर हाईवा और अन्य वाहन का उपयोग किया गया। विभाग ने ऐसे 200 प्रकरण तैयार किया और इन पर 33 लाख 81 हजार 275 रुपए का अर्थ दंड आरोपित किया। खनिज अधिकारी के द्वारा दी गई जानकारी में बताया गया कि अप्रैल से अक्टूबर तक अवैध रेत भंडारण के पांच मामले बनाए गए। चोरी चकारी के काम में जुड़े लोगों के द्वारा अलग-अलग स्थान पर नदी नालों से निकल गई रेत को डंप किया गया था। इसके माध्यम से मोटी कमाई करने की तैयारी थी। विभाग ने इन प्रकरणों में संबंधित तत्वों पर 10 लाख 47 हजार 861 रुपए की पेनल्टी की थी। विभागीय अधिकारी ने बताया कि यह चरणबद्ध कार्यवाही का हिस्सा है और नियमित रूप से मॉनिटरिंग के साथ इस तरह के प्रकरणों में हमारी टीम कार्रवाई करती है। इसे आगे भी जारी रखा जाएगा ताकि गौण खनिज के दुरुपयोग को रोका जा सके और इस प्रकार के कार्यों में लगे हुए लोगों की मानसिकता को हतोत्साहित किया जा सके।

एक तरफ जिले में अवैध खनिज परिवहन और भंडारण को लेकर सरकारी तंत्र कार्रवाई कर रहा है लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस कड़ी में शामिल अधिकांश वाहन में नंबर प्लेट ही नहीं है। ट्रैक्टर से लेकर हाईवा तक बिना किसी नंबर के ही सड़कों पर दौड़ रहे हैं और रेत का परिवहन करने में व्यस्त हैं।

फर्जी आदेश पत्र के आधार पर बीईओ बनने वाला व्याख्याता गिरफ्तार

कबीरधाम | आरएनएस

कबीरधाम पुलिस ने फर्जी आदेश पत्र के आधार पर बीईओ बनने वाला व्याख्याता दयाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। दयाल सिंह ने शासकीय हाई स्कूल बेंदरची को फर्जी आदेश पत्र के आधार पर विकासखंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) का पद हासिल करने के प्रयास किया था। आरोपी के खिलाफ थाना कोतवाली कवर्धा में धारा 336(3), 338, 340(2) क्चहृस् और भारतीय दंड संहिता की अन्य संबंधित धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया है।

बता दें कि दयाल सिंह ने छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय रायपुर के नाम से एक कूटरचित आदेश पत्र तैयार किया। इस पत्र में आरोपी ने विकासखंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) बोड़ला के पद पर नियुक्त किए जाने का उल्लेख था। आरोपी ने यह फर्जी आदेश पत्र जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) योगदास साहू के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसके आधार पर डीईओ ने आदेश जारी कर दिया। हालांकि, बाद में यह सामने आया कि आदेश पत्र पूरी तरह से फर्जी था। इसके बाद, डीईओ योगदास साहू ने आदेश को तुरंत प्रभाव से निरस्त किया और 19 सितंबर 2024 को संबंधित मामले की रिपोर्ट थाना कोतवाली में दर्ज कराई। प्रारंभिक जांच में यह स्पष्ट हो गया कि आरोपी ने शासन और विभाग को धोखा देने के लिए कूटरचित दस्तावेज का इस्तेमाल किया था। कबीरधाम पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने इस गंभीर मामले में त्वरित कार्रवाई के लिए अपनी टीम को निर्देशित किया। सिंह के मार्गदर्शन में तिरिक्त पुलिस अधीक्षक पंकज पटेल और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुष्पेंद्र बघेल की निगरानी में पुलिस टीम ने तेजी से मामले की जांच की। एसडीओपी प्रतीक चतुर्वेदी और कोतवाली थाना प्रभारी उप निरीक्षक शांता लकड़ा की टीम ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए आवश्यक कानूनी कदम उठाए और बुधवार को दयाल सिंह को गिरफ्तार किया।

पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 336(3), 338, 340(2) बीएनएस के तहत सभी कार्यवाही की। पुलिस की जांच में यह भी स्पष्ट हुआ कि आरोपी ने प्रशासनिक सिस्टम को धोखा देने के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार किए थे, जिससे भ्रम की स्थिति पैदा हुई थी।

भूमि दिलाने के नाम पर लाखों रूपये लेकर ठगी करने वाला आरोपी गिरफ्तार

रायपुर | आरएनएस

प्रार्थी प्रणीत चौबे ने थाना खम्हारडीह में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह अमलतास क्लासिक सेलटैक्स कालोनी थाना खम्हारडीह रायपुर में रहता है तथा वह प्रयास क्लासिक क्रिएशन प्रा.लि. नामक कम्पनी का डायरेक्टर है जिसका कार्यालय फस्ट फ्लोर, सेल्स टैक्स कालोनी खम्हारडीह रायपुर में है। कंपनी छत्तीसगढ़ राज्य के विभिन्न शहरों में रेसिडेंसियल आवासीय घरों का निर्माण करने एवं भूखण्ड क्रय-विक्रय करने का व्यवसाय करती है। कम्पनी के व्यवसाय की देख-रेख एवं संचालन प्रार्थी, उसकी मां शवनम चौबे एवं पिता अमल चौबे द्वारा द्वारा किया जाता है। जनवरी 2024 में कम्पनी गोबरा नवापारा में आवासीय कालोनी विकसित करने के लिए जमीन की तलाश कर रही थी इसी दौरान जमीन मकान का काम करने वाला जसवंत सिंह निवासी श्याम नगर रायपुर प्रार्थी के पिता अमल चौबे से मिला तथा जसवंत सिंह ने प्रार्थी के पिता को बताया कि देवेन्द्र शुक्ला उस क्षेत्र में जमीन मकान दलाली का कार्य करता है और उसके पास ग्राम पिपरौद तहसील गोबरा नवापारा रायपुर में लगभग 40 एकड़ भूमि है, कि जसवंत सिंह प्रार्थी के पिता अमल चौबे को फरवरी 2024 में देवेन्द्र शुक्ला से परिचय कराया तब देवेन्द्र शुक्ला ग्राम पिपरौद की लगभग 40 एकड़ भूमि का सौदा करने का एक इकरारनामा दिखाया। इकरारनामा में भूमि के मूल स्वामी संजय कुमार अग्रवाल एवं रीता बाई है उन्होंने जमीन विक्रय का सौदा देवेन्द्र शुक्ला से किया था। जिस पर प्रार्थी एवं उसके पिता द्वारा देवेन्द्र शुक्ला से उक्त भूमि 42,00,000/- प्रति एकड़ की दर से क्रय करने का सौदा दिनांक 13/02/2024 को करते हुए कम्पनी द्वारा देवेन्द्र शुक्ला को कुल रूपये 72,00,000/- (बहत्तर लाख रूपये) देकर इकरारनामा किया गया। उपरोक्त भूमि के रजिस्ट्री कराए जाने के पूर्व कम्पनी द्वारा दैनिक समाचार पत्र में स्वत्व की जांच के आशय से आम सूचना प्रकाशित कराये जाने पर उपरोक्त भूमि के स्वामी संजय कुमार अग्रवाल द्वारा कम्पनी की आम सूचना पर आपत्ति करने पर यह ज्ञात हुआ कि देवेन्द्र शुक्ला द्वारा संजय अग्रवाल की भूमि का फर्जी इकरारनामा बनाकर धोखाधड़ी कर प्रार्थी की कंपनी को उक्त भूमि का विक्रय करने का सौदा कर कम्पनी से 72,00,000/- रूपये हड़प लिया। प्रार्थी द्वारा इसकी जानकारी देवेन्द्र शुक्ला को देने पर वह टाल मटोल करने लगा तथा अपना मोबाईल फोन बंद कर दिया। जिस पर प्रार्थी की रिपोर्ट पर आरोपी के विरूद्ध थाना खम्हारडीह में अपराध क्रमांक 501/24 धारा 420 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ0 संतोष कुमार सिंह द्वारा गंभीरता से लेते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर लखन पटले, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक क्राईम 0- संदीप मित्तल, नगर पुलिस अधीक्षक विधानसभा 0- केशरीनंदन नायक, उप पुलिस अधीक्षक क्राईम 0- संजय सिंह, थाना प्रभारी खम्हारडीह एवं प्रभारी एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट को आरोपी की पतासाजी कर जल्द से जल्द गिरफ्तार करने निर्देशित किया गया। जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना खम्हारडीह पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा आरोपी की पतासाजी करते हुये आरोपी के छिपने के हर संभावित स्थानों में लगातार रेड कार्यवाही करते हुए प्रकरण में आरोपी देवेन्द्र शुक्ला को गिरफ्तार कर उसके विरूद्ध कार्यवाही किया गया।

SJU - Contact No. +91 9301915303
E-mail ID- sjunion29@gmail.com
Social Justice Union
Registered with Govt. No. 5526
Join SJU
अधिकार से न्याय तक
आवश्यकता
इस संघ का गठनसमर्पण छत्तीसगढ़ में पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं0 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईजर श्री तखतमल श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च न्यायालय), एवं गवर्निंग बोर्ड के सदस्यों कुछ सी.बी.वर्मा, श्रीमती शैफाली श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी ठाकुर है एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन संबंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जायेगा। साथ ही, विधि, न्याय संबंधी कार्य हाथ में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यक्ता, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जायेगा।
उद्देश्य एवं नियुक्तियां
मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जावेगी, और उनमें संघ के द्वारा अधिकारिक नियुक्तियाँ की जावेगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तो का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।
मुख्य बिन्दु
प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जायेगी।
पीड़ित संपर्क करें
संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।
अन्य बिन्दु
● संघ पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
● पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में महिलाओं के अधिकार, बच्चियों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक तौर के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जायेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उनके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सजग किया जायेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जायेगी।
● संघ सामान्य न्याय का पक्षधर है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन उच्च पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुंचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
● संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित विभिन्न कार्यक्रम किए जायेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जायेगा।
● संघ सामाजिक कुरीतियों एवं दूर करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन भी करेगा। संघ देश के मूले बिसरे पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित कराएगा।
पढ़िए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र
Address
Behind Stadium
Near Career
School, Raigarh,
C.G.
Pin 496001
www.nyaysakshi.com
सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।
Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU